सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 130/2017

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

पांची पत्नि स्व. रामचन्द्र कुमावत निवासी आलोली तहसील सावर जिला अजमेर

-----प्रार्थीया

♠बनाम♠

1. रामसुख पुत्र जग्गा
2. ग्यारसी पत्नि छोटू
3. ज्सोदा पुत्री छोटू
   समस्त जाती कुमावत निवासीगण आलोली तह. सावर जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार-भू अभिलेख एवं उपपंजीयक केकड़ी जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार-भू अभिलेख एवं उपपंजीयक सावर जिला अजमेर

------अप्रार्थीगण

6. बदाम पत्नि अर्जुन
7. रामकिशन पुत्र अर्जुन
8. दुर्गा पुत्र अर्जुन
9. पांचू पुत्र अर्जुन
10. सीता पुत्री अर्जुन
11. गट्टू पुत्री अर्जुन
12. देवीलाल पुत्र कल्याण
13. श्रीकिशन पुत्र नाना
14. भूरा पुत्र नाना
15. प्रेमदेवी पत्नि देवीलाल

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 21.5.2018

प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राज. भू. राजस्व अधि. के साथ अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम आलोली, मेहरूकंला, सांकरिया तहसील केकडी/सावर जिला अजमेर में स्थित है जो निम्न प्रकार है-

1. ग्राम मेहरूकलां जमाबन्दी संवत 2072-75 खाता संख्या 908 कुल किता खसरा 9 कुल रकबा 3.07 हैक्ट.
2. ग्राम आलोली जमाबन्दी संवत 2072-75 खाता संख्या 485 कुल किता खसरा 12 कुल रकबा 1.89 हैक्ट.
3. ग्राम आलोली जमाबन्दी संवत 2072-75 खाता संख्या 484 कुल किता खसरा 1 कुल रकबा 0.03 हैक्ट.
4. ग्राम मेंहरूकला जमाबन्दी संवत 2064-67 खाता संख्या 750 कुल किता खसरा 1 कुल रकबा 1.62 हैक्ट.
5. ग्राम सांकरिया जमाबन्दी संवत 2072-75 खाता संख्या 539 कुल किता खसरा 2 कुल रकबा 1.13 हैक्ट.

कुल खसरान 25 कुल रकबा 7.74 हैक्ट.

प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या 4 में प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी में जग्गा का सजरा प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार स्व. जग्गा के वारिसान में पत्नि लादी (फौत), पुत्र रामचन्द्र (फौत), पुत्र रामसुख जो कि अप्रार्थी संख्या 2 है। पुत्र छोटू (फौत), पुत्री फूमा (फौत) है। रामचन्द्र के फौत हो जाने से उसके वारिसान में पत्नि पांची है जो कि प्रार्थीया खुद है। छोटू के फोत हो जाने से उसके वारिसान में पत्नि ग्यारसी व पुत्री जसोदा है जो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 है ।

वाद वर्णित आराजीयात स्व जग्गा की पुश्तेनी आराजीयात है जिसको अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने मिलीभगत कर स्वयं के नाम करवा लिया है जो कि गलत एवं गैर कानूनी है। ग्राम मेहरूकलां के खाता संख्या 908 एवं खाता संख्या 750 की आराजीयात में प्रर्थिया का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 का 1/6 हिस्सा है। ग्राम आलोली के खाता संख्या 485 एवं खाता संख्या 484 की आराजीयात में प्रर्थिया का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा तथा अप्रार्थी

संख्या 2 लगायत 3 का 1/6 हिस्सा है एवं ग्राम सांकरिया के खाता संख्या 539 की आराजीयात में प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 का 1/3 हिस्सा है एवं इसी हिस्से अनुसार आराजीयात पर काश्त करते चले आ रहे है। वाद वर्णित आराजीयात को अप्रार्थीगण ने मिलीभगत कर अपने नाम करवा लिया है एवं प्रार्थीया को उसके हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है जिसके कारण प्रार्थीया द्वारा यह वादी प्रस्तुत किया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को सदैव के लिए निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थिया के हिस्से की आराजीयात के कब्जे उपयोग उपभोग काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें एवं जमाबन्दी इन्द्राज को दुरूस्त कर प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे।

हमने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया । दिनांक 21.12.2017 को अप्रार्थी स. 1 की और से अधिवक्ता श्री रामेश्वर कुमावत व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह राठोड उपस्थित । पत्रावली में अप्रार्थीगण की और से दिनांक 8.1.2018 से अबतक कोई जवाब पेश नहीं हुआ । प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते जवाब बन्द करने हेतु न्यायालय में पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी में प्रार्थीया का हक हिस्सा होना भी जाहिर होने से प्रार्थिया का प्रेमाफेसाई केस होना पाया जाता है तथा प्रार्थना पत्र का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में पाया जाता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 212 राज. काश्तकारी अधि. का वाके ग्राम मेहरूकलां जमाबन्दी संवत 2072–75 खाता संख्या 908 कुल किता खसरा 9 कुल रकबा 3.07 हैक्ट., ग्राम आलोली जमाबन्दी संवत 2072–75 खाता संख्या 485 कुल किता खसरा 12 कुल रकबा 1.89 हैक्ट., ग्राम आलोली जमाबन्दी संवत 2072–75 खाता संख्या 484 कुल किता खसरा 1 कुल रकबा 0.03 हैक्ट., ग्राम मेंहरूकला जमाबन्दी संवत 2064–67 खाता संख्या 750 कुल किता खसरा 1 कुल रकबा 1.62 हैक्ट., ग्राम सांकरिया जमाबन्दी संवत 2072–75 खाता संख्या 539 कुल किता खसरा 2 कुल रकबा 1.13 हैक्ट. **कुल खसरान 25 कुल रकबा 7.74 हैक्ट**. का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे मूल वाद विचाराधीन होने तक प्रार्थीया के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें ना ही बेचान, रहन, बख्शीस , इत्यादि न करें , एवं उपयोग, उपभोग, कब्जा काश्त स्वामित्व में किसी प्रकार की दखल नही करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी